Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2016 = 6.17, www.srjis.com
UGC Approved Sr. No.49366, MAR–APR, 2018, VOL- 5/44

किसान आत्महत्या : एक विश्लेषण

विश्वास पटेल, Ph. D. & तुहिना जौहरी , Ph. D.
राजनीति विज्ञान विभाग, संत अलॉयसियस महाविद्यालय, जबलपुर

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

'जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है
सूखे कुंए तुम्हारा इम्तहान बाकी है
बादलों बरस जाना समय पर इस बार
किसी का मकान तो किसी का लगान बाकी है।'

किसान मानव सभ्यता के साथ तब से जुड़ा है जब से कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। चूंकि हमारे देश की अधिकांश जनता गांवों में निवास करती है, अतः भारतीय किसान ग्रामीण वातावरण में ही रहकर विषमताओं से जूझकर अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करता है। जीवन की तमाम विसंगतियों, विपन्नताओं एवं अभावों से जूझते हुए सृष्टि के जीवों की क्षुधा को शान्त करता है। भारतीय किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है 50 प्रतिशत से अधिक भारतीय किसान जमींदारों, पूंजीपतियों, साहूकारों के शोषण का शिकार ह। जमींदारों के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ उसका जीवन कभी अकाल, कभी महामारी तो कभी बाढ़ या सूखे की चपेट में आ जाता है। आर्थिक तंगी के चलते बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या करते हैं। किसान देश की नींव है और जब नींव पर संकट आता है तो पूर देश की आधारशिला हिल जाती है और सारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। सच्चाई यह है कि कृषि से जुड़ा हुआ किसान आज अपनी पूर्वावस्था से ज्यादा दयनीय अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात् कृषि क्षेत्र को विकसित करने और कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने भारत सरकार ने कई योजनाओं, कार्यक्रमों व नीतियों का संचालन किया। सरकार ने वर्ष 1960–61 में भूमि सुधार कार्यक्रम की शुरूआत की जिससे किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सरकार ने भू–जोतों की अधिकतम सीमा तथा चकबन्दी जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता प्रदान की जिससे कृषक वर्ग लाभान्वित हो सके। लेकिन हमारे देश की विडम्बना यह है कि आजादी के 71 साल बाद भी किसानों की समस्याओं का वास्तविक समाधान नहीं निकाला जा सका। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यदि किसानों की ऐसो स्थिति हो तो हमारी प्रगति और विकास व सारी उपलब्धियां अर्थहीन है।

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का केन्द्रबिन्दु व भारतीय जीवन की धुरी है। भारतीय किसान खेती व्यवसाय के रूप में नहीं करता है, बल्कि जीविकोपार्जन के लिए करता है। देश की कुल श्रमशक्ति का लगभग 52 प्रतिशत भाग कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों से ही अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। कृषि के विकास, समृद्धि व उत्पादकता पर ही देश का विकास व सम्पन्नता निर्भर है। कृषि भारतीय अथव्यवस्था की रीढ़ है जो न केवल इसलिए कि इससे देश की जनसंख्या को खाद्य की आपूर्ति होती है बल्कि इसलिए भी भारत की आधी से अधिक आबादी प्रत्यक्ष रूप से जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड है, जो एक प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र है, वहीं सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका महत्वपूर्ण योगदान हैं। कृषि की सकल घरेलू उत्पादन में भागीदरी लगभग 22 प्रतिशत हैं। कृषि राष्ट्रीय आय का एक प्रधान स्रोत है जो संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करती है। कृषि उत्पादन मुद्रास्फीति दर पर अंकुश रखता है, उद्योगों को शक्ति प्रदान करता है, कृषक आय में वृद्धि करता है और रोजगार प्रदान करता है। कृषि की पुरानी परम्परागत विधियों, पूंजी की कमी, भूमि सुधार की अपूर्णता, विपणन एवं वित्त संबंधी कठिनाईयों, आदि के कारण भारतीय कृषि की उत्पादकता कम है। अभी भी इस देश के किसानों की स्थिति किसी भी अन्य विकासशील देशों की तुलना में अधिक चिंताजनक है। देश की प्रगति एवं विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद भी किसानों को जिन्दगी से निराश होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण खेती का रकबा लगातार घट रहा है। आजादी के समय देश की जीडीपी में कृषि का योगदान 55 प्रतिशत था जो वर्तमान में घटकर मात्र 15 प्रतिशत ही रह गया। जबकि आबादी बढ़ने के कारण कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या 24 करोड़ से बढ़कर 72 करोड़ हो गयी, और खती की जमीन बंटती गई। सरकारों द्वारा इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे देश की खेती अधिक उत्पादन होने के बाद भी आत्महत्या का गढ़ बन गई है। वैसे तो कृषि एवं कृषकों के विकास हेतु प्रादेशिक नियोजन प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ किन्तु इसका आपेक्षित परिणाम आज तक हासिल नही हुआ है इसलिए आज भी कृषि एवं कृषकों की स्थिति सम्मानजनक नहीं है।यही कारण है कि कृषि पर बढ़ता जनसंख्या का दबाव, जलवायु परिवर्तन, गांवों में कृषि परिवार के युवाओं का कृषि कार्य से घटता लगाव, कृषि परिवार का गांवों से नगर की ओर पलायन इस क्षेत्र की नयी समस्या उभरकर सामने आ रही है। आज भी कृषकों का जीवन गरीबी के कुचक्र में फंसा हुआ है। किसानों की आत्महत्या की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

किसान आत्महत्या के कारण

स्वतंत्र भारत से पूर्व और स्वतंत्र भारत के पश्चात् एक लम्बी अवधि व्यतीत होने के बाद भी भारतोय किसानों की दशा दयनीय है। भारत में किसानों की आत्महत्या की समस्या लगभग 1990 के बाद प्रबल रूप से प्रकाश में आई जब उदारीकरण का दौर शुरूहुआ था, जिसमें प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक किसानों के द्वारा आत्महत्या की रिर्पोट दर्ज की गई है। *''वर्ष 1991 के बाद विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष*

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

*के निर्देशन में भारत सरकार ने अनुदानों को कम करते हुए सारे उपादनों को क्रमशः महंगा करने की नीति अपनाई। दूसरी ओर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ ही खुले आयात की नीति के चलते कृषि उपज के सस्ते आयात ने भारतीय किसानों की कमर तोड़ दी। बढ़ती लागत और कृषि उपज के घटते दामों के दोनों पाटों के बीच भारतीय किसान बुरी तरह पिसने लगे।''*1990 में प्रसिद्ध अंगजी अखबार द हिन्दू के ग्रामीण मामलों के संवाददाता पी. सांईनाथ ने किसानों द्वारा नियमित आत्महत्याओं की सूचना दी।

भारतीय किसान अपने जीवन के अभावों से कभी भी मुक्त नहीं हो पाता है। इसके कई कारण हैं– अशिक्षा, अज्ञानता, आधुनिकता से दूरी, संकीर्णता, कूपमण्डूक बना रहता है। मानसून की विफलता, सूखा, कीमतों में वृद्धि,ऋण का अत्यधिक बोझ आदि परिस्थितियां, समस्याओं के एक चक्र की शुरूआत करती है। बैंका, महाजनों, बिचौलियों आदि के चक्र में फंसकर भारत के विभिन्न हिस्सों में किसानों में आत्महत्याएं की हैं।आत्महत्या करने वाले किसानों में अधिकतर नकदी फसल की खेती करने वाले किसान थे। प्रमुख रूप से कपास, सूरजमुखी, मूंगफली और गन्ना आदि। अधिकांश नकदी फसलों को अधिक सिंचाई की जरूरत होती है, लेकिन सिंचाई के कारगर उपायों के न होने के कारण किसानों पर आर्थिक संकट बढ़ा।किसान आत्महत्या की यह गाथा दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों का नतीजा है, कृषि को व्यवस्थित तौर पर आर्थिक रूप से अलाभप्रद बनाया गया जिसके कारण किसान कर्ज के दुश्चक्र में फंस गए। पिछले एक दशक में कृषि ऋणग्रस्तता में 22 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी सिंह ने कहा था कि किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में ही मर जाता है। एनसीआरबी की रिर्पोट के अनुसार 2015 में 12,602 किसानों और कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की। किसानों की आत्महत्या में लगभग 42 प्रतिशत वृद्धि हुई है। ताजा आंकडों के अनुसार आत्महत्या करने वाले कुल किसानों में से 70 प्रतिशत से अधिक संख्या उन गरीब किसानों की है, जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है।भारत में किसान चिलचलाती धूप में काम करते हैं, फिर भी एक माह में प्रति किसान परिवार 2400 रूपये से अधिक नहीं कमा पाता। एक साल में यह राशि मात्र 28 हजार रूपये बैठती है। उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, पं. बंगाल, मध्यप्रदेश और राजस्थान में कृषि से आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इससे स्पष्ट है कि भारत के किसान गरीबी रेखा से काफी नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। हमारे देश क अधिकांश कृषक निर्धन व अशिक्षित हैं जिसके कारण समय के बदलाव के साथ उनकी स्थिति में विशेष बदलाव नहीं आया है।महाराष्ट्र किसानों की आत्महत्या के मामले में शीर्ष पर पहुंच चुका है। आज किसान और खेती दोनों अपने अस्तित्व को खो रहे हैं। वर्ष 2014–15 में देश के 162 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। केन्द्र सरकार ने समर्थन मूल्यों की घोषणा की, फिर भी सोयाबीन, कपास और धान की खरीद के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। वास्तविकता यह है कि जिन क्षेत्रों में अकाल की स्थिति है वहॉ किसान आत्महत्या को मजबूर हैं।भारत जैसे कृषि प्रधान देश के

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

लिए, किसान आत्महत्या एक अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। यह निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय समस्या है जो तत्काल समाधान की मांग करती है।

30 दिसम्बर 2016 की राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिर्पोट 'एक्सिडेन्टल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया 2015' के अनुसार 2015 में 12,602 किसानों और खेती से जुड़े मजदूरों ने आत्महत्या की है। 2014 की तुलना में 2015 में किसानों और कृषि मजदूरों की कुल आत्महत्या में दो फीसदी की बढ़ोतरी हुई। किसानों की आत्महत्या में शीर्ष पर महाराष्ट्र रहा है जहॉ 2015 म 4291 किसानों ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र के बाद किसानों की आत्महत्या के सर्वाधिक मामले कर्नाटक में 1569, तेलंगाना में 1400, मध्यप्रदेश में 1290, छत्तीसगढ़ में 954, आंध्रप्रदेश में 916 और तमिलनाडु में 606 सामने आए।आंकड़ों के अनुसार आत्महत्या करने वाले 73 प्रतिशत के पास दो एकड़ या उससे कम जमीन थी।वर्तमान में हमारे देश में कई प्रदेशों में खेती की स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि किसान जीवन को समाप्त करने जैसा कदम उठाने लगा है। विडम्बना यह है कि एक ओर अन्नदाता आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है अर्थात् उसके पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है तो दूसरी ओर प्रति वर्ष हजारों करोड़ रूपए का खाद्यान्न सरकारी गोदामों में सड़ कर नष्ट हो जाता है।किसानों की आत्महत्या रोकने का कार्य सरकार कई किसान कल्याण एवं कृषि विकास की योजनाआ द्वारा कर सकती है। साथ ही सरकार को फसल बीमा एवं कई अन्य प्रकार की सहायता जैसे सहकारी बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता कराना एवं उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उच्च स्तर के खाद, उत्तम कृषि यंत्र प्रदान करना एवं भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना आदि उपायों के द्वारा सरकार किसानों की आत्महत्या को रोकने में कामयाब हो सकती है। कृषि क्षेत्र में निरंतर मौत का तांडव दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों का नतीजा है। दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों के चलते कृषि धीरे–धीरे घाटे का सौदा बन गई है, जिसके कारण किसान कर्ज के दुश्चक्र में फंस गए हैं।

एक रिर्पोट के अनुसार 2015 में रोजाना औसतन चार किसान जान दे रहे थे, जो 2016 में बढ़कर छह हो गए। पांच सालों में किसानों की आय दोगुनी करने के दावों के बीच किसानों की बदहाली की यह एक दुखद तस्वीर है। देश की आजादी के बाद स ही भारतीय किसान को मजबूत व सशक्त बनाने के नारे दिए जा रहे हैं परन्तु किसानों की दयनीय स्थिति किसी से छुपी नही है, आजादी के इतने वर्षों बाद भी आधुनिकता के इस युग में भी किसान आत्महत्या करने के लिए बेबस है। किसान के लिए उसके खेत खलिहान और उसकी फसल ही उसका भविष्य होती है। लेकिन जब सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या फिर किसी कारण वश किसान की फसल नष्ट हो जाय तो उसका सबकुछ बर्बाद हो जाता है और सरकारी कार्यवाही केवल कागजी आंकड़े बनकर रह जाते हैं। किसानों की यह स्थिति वर्तमान समय की नहीं है, जब से देश आजाद हुआ तब से अपनी समस्याओं के चलते किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों की आत्महत्याओं के आकड़े निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं।

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

किसान आत्महत्या – 2009–2016

वर्ष	आत्महत्या की संख्या				
	महाराष्ट्र	आंध्रप्रदेश	कर्नाटक	मध्यप्रदेश	भारत में आत्महत्या की कुल संख्या
1995	1083	1196	2490	1239	10720
1996	1981	1706	2011	1809	13729
1997	1917	1097	1832	2390	13622
1998	2409	1813	1883	2278	16015
1999	2423	1974	2379	2654	16082
2000	3022	1525	2630	2660	16603
2001	3536	1509	2505	2824	16415
2002	3695	1896	2340	2578	17971
2003	3836	1800	2678	2511	17164
2004	4147	2666	1963	3033	18241
2005	3926	2490	1883	2660	17131
2006	4453	2607	1720	2858	17060
2007	4238	1797	2135	2856	16632
2008	3802	2105	1737	3152	16796
2009	2872	2414	2282	3197	17368
2010	3141	2525	2585	2363	15964
2011	3337	2206	2100	1326	14027
2012	3786	2572	1875	1172	13754
2013	–	–	–	1090	11772
2014	2568	–	321	826	12360
2015	4291	916	1569	1290	12602
2016	3063	–	848	1982	6867

स्रोत– राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) रिपोर्ट 1995–2016

समस्या के क्षेत्र

भारतीय किसानोंकी प्रमुख निम्न समस्याएं ऐसी है, जिनसे वह शताब्दियों से पीड़ित है।

मानसून पर निर्भरता : भारतीय कृषि उत्पादन मानसून के प्रति अतिसंवेदनशील है। सही समय पर मानसून आने का अर्थ अच्छी फसल का होना है। यदि मानसून सही समय पर नहीं आता है तो फसल उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होता है। वृहत् सिंचाई सुविधाओं पर अत्यधिक बल देने तथा लघु सिंचाई सुविधाओं के कारण मानसून के प्रति भारतीय कृषि क्षेत्र की निर्भरता बढ़ी है।वर्तमान समय में भी अधिकांश किसान सिंचाई व्यवस्था का सही तरीके से उपयोग नही का पाते हैं इसलिए मानसून पर निर्भर होना ही उनका भाग्य है।

अपर्याप्त भंडारण क्षमता :अनाजों, फल व सब्जियों के अत्यधिक उत्पादन के बाद इनका उचित भंडारण की कमी से नुकसान होता है। इकनोमिक टाइम्स, 28 नवम्बर, 2013 में प्रकाशित खबर के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष फल व सब्जियों की बर्बादी लगभग 13,300 करोड़ मूल्य की होती है। भारत में लगभग 6300 शीत भंडारण है जिनकी क्षमता लगभग 30.11 मिलियन टन है। लेकिन इसका 75–80 %

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

भाग केवल आलू भंडारण में ही उपयोग में लिया जाता है। इसलिए बाकि की जिंसों के लिए भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था नही है यही कारण है कि किसानों की फसलें पर्याप्त भंडारण के अभाव में नष्ट हो जाती हैं।

विक्रय व्यवस्था : भारतीय किसान की एक महत्वपूर्ण समस्या यह रही है कि उसे अपना माल मंडियों में बेचना पड़ता है। ये मडियां या तो बहुत दूर हैं, जहॉ पहुॅचने के लिए यातायात के साधन पर्याप्त नहीं है या इनके विक्रय की व्यवस्था ठीक नही हैं। अतः किसान को अपने माल के उचित दाम प्राप्त करने में कठिनाई होती है।इस कठिनाई के कारण वह अपना माल ग्राम के साहूकार को ही बेच देता है, जिससे उसे ओर भी कम मूल्य प्राप्त होता है।

प्राकृतिक आपदायें : खाद्य व कृषि संगठन की रिर्पोट के अनुसार एक कृषि में चौथाई नुकसान प्राकृतिक आपदाओं की वजह से विकासशील देशों में होता है। इन प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, बेमौसमी वर्षात व कोट/रोगों का अचानक प्रकोप भी शामिल है। वर्ष 2015 में फरवरी– मार्च में 8.5 मिलियन खड़ी फसल 14 राज्यों में अप्रत्याशित वर्षा व ओलावृष्टि से नष्ट हो गयी तीन राज्यों उ. प्र., पंजाब, म.प्र. में भारी नुकसान हुआ। वर्ष 2015 में सफेद मक्खी के प्रकोप से पूरे पंजाब प्रान्त की खरीफ कपास की दो–तिहाई फसल बर्बाद हो गयी थी। किसानों का अनुमानित नुकसान 4200 करोड़ रूप्ये के साथ साथ कीटनाशक छिड़काव पर 150 करोड़ रूप्ये अतिरिक्त खर्च हुये।

पूंजी का अभाव :अन्य उद्योग धन्धों की तरह कृषि में भी आजकल पूंजी की आवश्यकता होती है। आधुनिक युग में कृषि लागतों में वृद्धि के कारण सामान्य किसान तकनीकी खेती के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ज्यादातर किसान को कृषि कार्यों हेतु कर्ज लेना पड़ता है। एक अध्ययन के अनुसार किसान का कर्ज का उपयोग कृषि कार्यो हेतु सर्वाधिक

73.61% करता है जबकि अन्य खर्च गृह निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक कार्यों के लिए करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार 52 % ग्रामीण परिवार कर्ज में डूबे हैं।आंध्रप्रदेश में 92 % , तेलंगाना में 89% व तमिलनाडु में 83% किसान कर्जदार है। जिसके कारण उन्ह अपनी फसल सस्ते दामों में बेचना पड़ता है।

सिंचाई के साधनों का अभाव :कृषि में मानसून की अनिश्चितता व वर्षा जल का अनियमित वितरण, कृषि उत्पादन में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मानसून पर इतनी अधिक निर्भरता का प्रभाव यह होता है कि देश के अधिकांश भाग की कृषि प्रकृति की दया पर निर्भर है। अतः कृषि की सफलता के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।जब तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती, तब तक भूमि में खाद देना भी संभव नहीं है, क्योंकि खाद का यथोचित प्रयोग करने के लिए काफ़ी जल चाहिए, अन्यथा सामान्य खेती के सूखने का भी भय रहता है। भारत में कृषि योग्य भूमि का मात्र 40% भाग सिंचित हैं, शेष 60% कृषि भाग असिंचित एवं मानसून पर निर्भर है। अन्य देशों की तुलना में यह प्रतिशत बहुत कम है मिश्र

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

में 100% , जापान में 70% तथा पाकिस्तान में 50 % कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है। भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद, रिर्पोट के अनुसार भारत में सूक्ष्म सिंचाई की स्थिति अभी ठीक नही है।सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर आता है।जिसमें से 3.06 मिलियन हेक्टेयर व 1.90 मिलियन हेक्टेयर फब्बारा सिंचाई, टपक सिंचाई के अंतर्गत क्रमशः आता है।भारतीय किसान तक अभी भी सिंचाई की नवीनतम तकनीक नही पहुंच पाई है या बहुत कम किसानों के द्वारा उनका प्रयोग किया जा रही है।

भूमि का उपविभाजन एवं उपखंडन : भारत में 90 प्रतिशत किसानों के पास कुल भूमि का 38 प्रतिशत भाग है। इसका अर्थ यह है कि एक किसान के पास औसत 0.2 हेक्टेअर से भी कम भूमि है। इतना ही नही यह भूमि कई टुकड़ों में बटी हुई है। इतने छोटे– छोटे भू–खण्डों पर खेती करना आर्थिक दृष्टि से उपादेय नही है। इससे भी कृषक की दशा में सुधार नही हुआ है।

प्रतियोगिता का अभाव : किसानों को उनके उत्पाद (धान, मक्का, गेहूं आदि) को सही व उचित मूल्य दिलाने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता बहुत सहायक सिद्ध होती है। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि मंडियों में इसका पूर्णतया अभाव होता है। क्रेताओं द्वारा समूह बनाकर समझौते के द्वारा कृषि उपज या उत्पाद को खरीदा जाता है।जिसके कारण आपस में प्रतियोगिता नही हो पाती और किसानों को प्राप्त होने वाला लाभ व्यापारियों को मिल जाता है।

कृषक सशक्तिकरण के लिए सरकार की योजनाएं :

केवल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी से ही किसानों की आय को तेजी से बढाना संभव नही है।इसके लिए समग्र नीति अपनानी होगी। निसंदेह नई योजनाएं किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव की क्षमता तो रखती हैं लेकिन सबसे बड़ा दारोमदार इन योजनाओं को बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने की सरकार की क्षमता पर होगा। आम बजट 2017–18 में मझली जोत के किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्हें सूदखोरों से बचाने के लिए पर्याप्त ऋण मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। वहीं अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषिगत सामग्री, बौद्धिक परामर्श उपलब्ध कराने का प्रावधान है। कृषकों में गरीबी और बेराजगारी की समस्या के समाधान एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बजट 2017–18 में मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रूप्ये प्रावधान किया गया है। किसानों की स्थिति में सुधार के लिहाज से मोदी सरकार की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया गया है वह है फसल बीमा योजना की विसंगतियों को दूर कर उनके लिए एक नई योजना का प्रारंभ। इस योजना में सरकार ने फसल बीमा को मौजूदा 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। अभी तक जो योजना चल रही थी उसमें सिर्फ बैंक से कर्ज लेने वालों को फसल बीमा का लाभ मिलता था। लेकिन नई योजना में सरकार ने फसल बीमा को बैंक कर्ज से पूरी तरह अलग कर दिया है।सरकार ने दायरा बढ़ा कर इस योजना का लाभ हर छोटे, मध्यम और बड़े की किसानों के लिए उपलब्ध कराया है। जिससे किसानों को पहले के मुकाबले कम प्रीमियम देना होगा। मोदी सरकार ने

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

कृषि के माध्यम से देश के विकास के लिए 3 वर्षों में नई कार्यविधि, पारदर्शी कार्यशैली के नए प्रतिमान रचे हैं। सरकार समयबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में किसान कल्याण की योजनाओं के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्यों को मिशन मोड में परिवर्तित किया है। किसानों के मन में कृषि उन्नति के लिए की गई नई पहलों के प्रति जागरूकता लाने में भी सफलता प्राप्त की है। तीन वर्ष के कार्यकाल में किसानों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाने के सतत एवं सशक्त प्रयासों से उत्साहजनक परिणाम मिल रहे है। म.प्र. देश में पहला राज्य बना जिसने किसानों की आय दोगुना करने का रोड मैप तैयार किया। प्रदेश सरकार द्वारा तैयार कृषि रोड मैप किसानों को 360 डिग्री पर सहायता करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें किसानों को मौसम की प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप सुविधाएं तो उपलब्ध करवाई ही जाएगी साथ ही कृषि संबंधी शोध, बीज, खाद, पर्याप्त बिजली–पानी, सरकार की योजनाओं, उत्पादन की लागत, मंडी के दामों इत्यादि को सरलता से किसानों तक पहुंचाया जाएगा। उत्पादकता बढ़ाने, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने और कृषि संबंधी दक्षता व व्यवसायिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए बाजार तथा भूमि से संबंधित आवश्यक सुधारों द्वारा समुचित रूप से समर्थित उपायों से कृषि संबंधी विपदा से निपटने के लिए विकास के सम्मिलित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई याजना

इस योजना का मकसद हर खेत को पानी पहुंचाना है। इस समय देश का करीब 40 फीसदी ही सिंचित है। अगर इस योजना के तहत सिंचाई सुविधा को हर किसान तक पहुंचा दिया जाएगा तो बड़े पैमाने पर एक फसली जमीन में दो फसलें लेना संभव है और उसके चलते किसानों की आय और कृषि उत्पादन में बड़ा इजाफा संभव है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

किसानों को प्राकृतिक आपदा के तहत हर साल भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस योजना में प्रीमियम काफी कम रखा गया है। खरीफ फसलों के लिए 2 फीसदी और रबी फसलों के लिए 1.5 फीसदी प्रीमियम रख गया है। सरकार के अनुसार इस योजना से उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम होगा जिन्होंने फसल उत्पादन के लिए कर्ज लिया हुआ है। इसके अलावा कमर्शियल क्राप्स के लिए प्रीमियम 5 फीसदी रख गया हैं।

ई–मंडो योजना (ई–नाम)

कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में बिचौलियों के कब्जे की समस्या को समाप्त करने कि लिए एक बड़ी पहल हुई जिसमें किसानों, उपभोक्ताओं और बड़े खरीदारों के बीच लोगों को कम करने के लिए इलेक्ट्रानिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई–नाम) की शुरूआत की। एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए देश की कृषि उत्पादन मंडी समितियों को इंटरनेट से जोड़ा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि इस तरह देश की सभी

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

मंडियों में एक कमोडिटी के एक दाम व वाजिब दाम किसानों को मिल सके। कृषि मंत्रालय ने पूरे देश में एक कॉमन ई–प्लेटफार्म के माध्यम से 585 थोक मंडियों को जोड़ने की पहल की है।

किसान केडिट कार्ड के तहत सस्ता कर्ज

किसान केडिट कार्ड योजना के तहत सरकार किसानों को सस्ता फसल कर्ज मुहैया कराती है। इस योजना में किसानों को तीन लाख रूप्ये तक का ऋण 7 फीसदी की सामान्य ब्याज दर पर मिलता है। इसमें सरकार की ओर से ब्याज दरों पर 4 फोसदी की सब्सिडी दी जाती है।

परंपरागत कृषि विकास योजना

परंपरागत खेती के माध्यम से आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय में बढ़ोत्तरी के विकल्प पर जोर देना है। जिससे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टीसाइड के उपयोग में कमी लाई जा सके। इसमें विलेज क्लस्टर बनाए जाने हैं जिनमें प्रत्येक क्लस्टर में 50–50 किसानों को ' शामिल किया जाना है। कुल मिलाकर देश में 10 हजार क्लस्टर बनाए जाने हैं जिसमें 5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि का लक्ष्य रख गया है। सिक्किम को इस योजना के तहत कंपोस्ट जोन घोषित किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र

सरकार किसानों की सहायता करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों के निर्माण का गंभीर प्रयास कर रही है। इसके द्वारा न सिर्फ उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता में भी वृद्धि की जा सकेगी।

किसानों के लिए मोबाइल एप

किसान सुविधा मोबाइल एप प्रधानमंत्री द्वारा 19 मार्च 2016 से जारी किया गया जो किसानों को मौसम, कीमत, बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि की जानकारी देता है। एग्रीमेंट मोबाइल एप, जो 50 कि.मी. के दायरे में आने वाले बाजारों में फसल की कीमत के बारे में जानकारी देने के लिए है। फसल बीमा मोबाइल एप से किसान अपने फसल बीमा से संबंधित जानकारी के साथ कवरेज एवं अधिसूचित फसल हेतु अपने प्रीमियम की गणना कर सकते हैं। पूसा कृषि मोबाइल एप जिसके तहत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा विकसित फसलों की उन्नत किस्मों तथा नइ प्रौद्योगिकियों की जानकारी प्राप्त होगी। भुवन हैल्स्टार्म मोबाइल एप इसके जरिये आलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र के चित्रों को अपलोड कर सकते हैं।

वर्तमान समय में हमारा देश प्रगतिशील देश की सीमा को पार कर विकसित देशों की श्रेणी में जाने को आतुर है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कृषि और उसे ऊर्वरक बनाने वाला किसान आज भी प्रेमचंद के हरिया के किरदार से बाहर निकलता हुआ नहीं दिखाई देता क्योंकि भारतीय किसान आज भी तमाम प्रगति के बीच भी अपने आप को समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस करता है।आज के इस भौतिकवादी युग ने किसानों को लाचार बना दिया है अतः कृषक सशक्तिकरण के उपायों के क्रियान्वयव को प्रभावशाली बनाने की जरूरत है। किसान का

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

समन्वित विकास आवश्यक है जिसमें कृषकों की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाय। कृषकों को न केवल उत्पादन बढ़ाने की जानकारी बल्कि घरेलु स्तर पर प्रसंस्करण की तकनीकें, मूल्य संवर्धन, कृषि विविधीकरण, कृषि वानिकी व क्षेत्र विशेष की देशज तकनीकों में सुधार कर उसे स्वावलंबी बनाया जाय। परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझे जाने वाले देश के अन्नदाता किसान देश की सरकारों से अपने संरक्षण व सहयोग से वंचित दिखाई देता है।जो अन्नदाता हैं, जो देश के लिए खून–पसीने से अन्न उगाता है उसके जान की परवाह और रक्षा सबसे पहले होनी चाहिये क्योंकि इस उर्वरा धरती पर पहला अधिकार उन्हीं का बनता है।

संदर्भ :

Patnayak, Kishan, 2006, *Kisan Aandolan Dasha Aur Disha .Delhi: Rajkamal Prakashan.*

Chapter 2A Suicides in Farming Sector, Accidental Deaths and Suicides in India 2015.

'भारत में किसानों की आत्महत्या : संक्षिप्त अवलोकन' राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कंटेम्परोरी स्टडीज़, 2014.

द हिन्दू, 2015।

दैनिक भास्कर, 2 फरवरी 2015, नागपुर.

लोकमत, 4 मार्च 2015, नागपुर.

हरवीर सिंह, 'किसानों के लिए नई पहल', कुरूक्षेत्र, 2016.

''सरकार की प्राथमिकता : कृषक व कृषि क्षेत्र का विकास'', द इंडियन एक्सप्रेस, 2017.

एन. आर. भानुमूर्ति व ए श्रीहरि नायडु, 'केन्द्रीय बजट 2017–18 : व्यापक विश्लेषण', योजना, मार्च 2017.

किसान आत्महत्या के कुछ अनदेखे पहलू – मानवाधिकार संगठन की नई रिर्पोट ।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) रिपोर्ट 1995–2016.

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies